International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

हिंदू विवाहः एक पवित्र, शुचिपूर्ण, अनुष्ठान युक्त समारोह

डॉ शाश्वत चंदेल

सहायक आचार्य

Abstract

"सदियों से यह पाया गया है कि विवाह करना मानव जाति को पशुओं के जीवित रहने और उसके परिणामस्वरूप होने वाली अपूर्णीय क्षति से बचाने के लिए जीवन का सर्वोत्तम तरीका है। विवाह संस्था न केवल मानव जाति के हजारों वर्षों के अनुभव पर आधारित है, बल्कि यह एक समय बद्ध संस्कार है जिसने सदियों से मानव जाति को परित्याग, वेश्यावृत्ति और विभिन्न प्रकार की पीड़ा से बचाया है। भारत में, विशेषकर हिंदुओं के बीच, विवाह समारोह पुरुषों और महिलाओं को न केवल अपने हित के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सामूहिक रूप से काम करने के लिए एकजुट करने का पवित्र बंधन रहा है। "विवाह" की कोई कानूनी परिभाषा नहीं है। विवाह का अर्थ सामान्यतः विपरीत लिंग के व्यक्ति के साथ पति या पत्नी के रूप में एकजुट होने की स्थिति है। यह सहमति देने वाले पक्षों को पति–पत्नी का दर्जा देता है। हिंदुओं में विवाह की "धारणा" (विवाह संपन्न कराने की 'पद्धति' से भिन्न) पर हमेशा विचार किया जाता है और समझा जाता है कि विवाह स्वर्ग में तय होते हैं, लेकिन पृथ्वी पर संपन्न होते हैं। यह अवधारणा एक पुरुष और एक महिला के बीच पवित्र मिलन के संस्कार चरित्र का आधार है जिसे आमतौर पर विवाह के रूप में जाना जाता है। यह लेख हिंदू विवाह के कानूनी पहलू और उसके धार्मिक प्रवचन पर आलोचनात्मक विश्लेषण करता है।"[1]

परिचय

विवाह का कानूनी पहलू उसके सामाजिक पहलू से जुड़ा हुआ है। यह एक सामाजिक संस्था है जो पुरुष और महिला को एक साथ रहने की अनुमति देती है। इस प्रकार, इसे आम तौर पर एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से एक पुरुष और महिला के एक साथ जुड़ने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे कानून द्वारा स्वीकार किया जाता है। कानून द्वारा स्वीकृत प्रक्रिया अलग–अलग स्थानों पर भिन्न हो सकती है लेकिन आम तौर पर समारोहों के माध्यम से स्वीकार की जाती है।हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदुओं के साथ–साथ बौद्धों, जैनियों और सिखों के साथ–साथ इनमें से किसी भी धर्म को अपनाने वालों को भी शामिल करता है। इसके अतिरिक्त, यह भारत में निवास करने वाले उन व्यक्तियों पर भी लागू होता है जो अन्य व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित नहीं होते हैं। इस अधिनियम की अंतर्राष्ट्रीय प्रासंगिकता भी है, क्योंकि यह विदेश में रहने वाले उन हिंदुओं पर लागू होता है जो भारत में निवास करते हैं, तथा यह सुनिश्चित करता है कि वे हिंदू व्यक्तिगत कानून के अधीन रहें। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7 के अनुसार, विवाह के समय कुछ आध्यात्मिक औपचारिकताएँ अवश्य की जानी चाहिये। जैसे

(1) एक हिंदू विवाह किसी भी पक्षकार के पारंपरिक संस्कारों और रस्मों के अनुसार संपन्न किया जा सकता है।

(2) जहाँ ऐसे संस्कारों और रस्मों में सप्तपदी (अर्थात, दूल्हा तथा दुल्हन द्वारा पवित्र अग्नि के सामने संयुक्त रूप से सात कदम उठाना) शामिल है, सातवाँ कदम उठाने पर विवाह पूर्ण और बाध्यकारी हो जाता है।ऐसा माना जाता है कि कुछ पारंपरिक अनुष्ठानों को पूरा किये बिना हिंदू विवाह अधूरा होता है। हालाँकि ये अनुष्ठान सार्वभौमिक नहीं हैं, लेकिन सप्तपदी जैसे कुछ अनुष्ठान हैं जिनके बिना वैदिक विवाह अधूरा माना जाता है।

[1] डेरेट एम. डंकन, हिंदू कानून, अतीत और वर्तमान 86.

इस प्रकार आवश्यक औपचारिकताएँ, ,शास्त्रीय या पारंपरिक, जो भी दूल्हा या दुल्हन की संस्कृति में प्रचलित हो, अवश्य पूर्ण की जानी चाहिये अन्यथा विवाह वैध नहीं माना जाएगा।[2]

'वर्तमान में समाजशास्त्र विभाग, दिग्विजयनाथ नाथ पीजी कॉलेज, गोरखपुर में सहायक आचार्य के रूप में कार्यरत हैं।

हिंदू विवाह की आवश्यक औपचारिकताएँ,

विवाह होम

हिंदू विवाह में, होम रस्म, जिसे आध्यात्मिक संदर्भ में *'विवाह होम'* कहा जाता है, में हवन कुंड में पवित्र अग्नि प्रज्वलित करना शामिल होता है।इस अनुष्ठान के दौरान, एक पुजारी अग्नि के देवता, अग्निदेवता की पूजा करने और विवाह को पवित्र करने के लिये भगवान विष्णु की उपस्थिति का आह्वान करने के लिये मंत्रों का पाठ करता है।

कन्यादान

विवाह के दौरान, यह अनुष्ठान पारंपरिक रूप से दुल्हन के पिता द्वारा किया जाता है, या पिता की अनुपस्थिति में, दुल्हन की ओर से एक अभिभावक इस रस्म को पूरा करता है।इस अनुष्ठान में, दुल्हन का पिता प्रतीकात्मक रूप से अपनी बेटी को दूल्हे को सौंपता है, और उसे उसकी सुरक्षा, समर्थन और पोषण करने के कर्त्तव्य का वचन लेता है।वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त विवाह के लिये इस रस्म को एक महत्त्वपूर्ण और अनिवार्य घटक माना जाता है। *रामलाल अग्रवाल बनाम शांतादेवी (1999)* मामले में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि जब, जिस मामले से संबंधित पक्षकार हैं, उसके रीति–रिवाजों का पालन किया जाता है तो वैवाहिक विधि में निर्दिष्ट रस्मों के अतिरिक्त अन्य रस्मों को करने से विवाह पूरा हो सकता है। कन्यादान एक आवश्यक रस्म है, लेकिन इसकी अनुपस्थिति, विवाह को अमान्य नहीं कर सकती है।

पाणिग्रहण

कन्यादान की रस्म के बाद, यह हाथ थामने की रस्म है। यह प्रतीकात्मक कृत्य वैवाहिक मिलन और एक–दूसरे के साथ जिम्मेदारियाँ साझा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।इस अवसर पर, इस अनुष्ठान के दौरान एक प्रतीकात्मक अग्नि प्रज्वलित की जा सकती है, जो एक नए घर की शुरुआत का प्रतीक होती है।

सप्तपदी

सप्तपदी का संस्कृत में अनुवाद ''सात चरण'' है, और इसे प्रधान तथा सबसे महत्त्वपूर्ण वैदिक हिंदू विवाह अनुष्ठान माना जाता है।इस अनुष्ठान के दौरान, एक पवित्र अग्नि प्रज्वलित की जाती है, और दूल्हा व दुल्हन, हाथ में हाथ डालकर, पवित्र अग्नि के चारों ओर सात फेरे लेते हैं। प्रत्येक फेरे के साथ, युगल गंभीर प्रतिज्ञा करते हैं, जो उनके मिलन और साझा जिम्मेदारियों का प्रतीक है।यह अनुष्ठान पाणिग्रहण रस्म के बाद होता है, जिसमें हाथ पकड़ना शामिल है और युगल के बीच वैवाहिक बंधन और आपसी जिम्मेदारियों का प्रतीक है।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7(2) सप्तपदी के लिये सामान्य प्रावधान करती है, जिसमें कहा गया है कि जहाँ संस्कार और रस्मों में एक रस्म के रूप में 'सप्तपदी' शामिल है, तो पवित्र अग्नि के चारों ओर सातवाँ फेरे पूरा होने पर विवाह पूर्ण और वैध माना जाएगा ।हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7 में हिंदू विवाह को कानूनी रूप से संपन्न करने के लिए आवश्यक समारोहों की रूपरेखा दी गई है। यह सुनिश्चित करता है कि विवाह संबंधित पक्षों की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के अनुसार आयोजित किए जाएं। समारोह परिवार और समुदाय की उपस्थिति में आयोजित किया जाना चाहिए, हालांकि, कानूनी दिशानिर्देशों के अनुसार, सप्तपदी आम तौर पर पूर्ण विवाह के लिए आवश्यक है।[3]

[2] हरि सिंह गौर, द हिंदू कोड 194 (लॉ पब्लिशर्स, इलाहाबाद, 5वां संस्करण, 1974)।

[3] पांडुरंग वामन केन, धर्मशास्त्र का इतिहास 427 (भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूना, 1941)।

(जबकि सप्तपदी आवश्यक है, लेकिन यदि यह विशिष्ट समुदाय की प्रथागत विशेषता नहीं है तो यह अनिवार्य नहीं है।)

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, की* नजर में हिंदू विवाह महज *एक अनुबंध या "गीत और नृत्य" का कार्यक्रम नहीं, यह एक संस्कार युक्त पवित्र मिलन है। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत "**विधिपूर्वक संपन्न करना**" ' शब्द इस अवधारणा की कानूनी रीढ़ है। इसे एक आवश्यक गतिविधिं माना जाता है, क्योंकि इसमें–

1ण ***अनुष्ठान अनिवार्य हैं (वैकल्पिक नहीं):*** किसी विवाह को " ***अनुष्ठान*** " बनाने के लिए, उसे दुल्हन या दूल्हे के पारंपरिक संस्कारों और विधियों के अनुसार किया जाना चाहिए। कानून में विशेष रूप से सप्तपदी (पवित्र अग्नि के चारों ओरे सात कदम) का उल्लेख है।यदि सातवां कदम नहीं उठाया जाता है, तो विवाह "संपन्न" नहीं होता है और इसलिए कानूनी रूप से अस्तित्व में नहीं रहता है।

2ण ***स्थिति बनाम अनुबंध :***विशेष विवाह अधिनियम 1954 (जो एक कानूनी अनुबंध है) के विपरीत, हिंदू विवाह एक आध्यात्मिक और सामाजिक ***अनुष्ठान*** बनाता है।डॉली रानी मामले में न्यायालय ने कहा कि विवाह एक "पवित्र आधारभूत ***अनुष्ठान*** " है जो समाज की एक बुनियादी इकाई (परिवार) की स्थापना करती है।यदि वास्तविक समारोह नहीं हुआ हो तो इसे पंजीकरण कार्यालय या निजी गैर सरकारी संगठन से प्राप्त मात्र "विवाह प्रमाण पत्र" से नहीं अधिकृत किया जा सकता।

3ण ***धार्मिक पवित्रता: यह अधिनियम विवाह*** के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पहलुओं को स्वीकार करता है। पुजारी की भागीदारी और वैदिक या प्रथागत अनुष्ठानों का पालन ही इस बंधन को "पवित्र" बनाता है, जिससे यह एक कानूनी समझौता न होकर एक पवित्र दायित्व बन जाता है।

4ण ***गैर–समारोहण के कानूनी परिणाम:*** यदि विवाह पवित्र विधिवत ***अनुष्ठान पूर्वक*** संपन्न नहीं होता है, तो कानून की नजर में दम्पति पति–पत्नी नहीं होते। इस प्रकार, पंजीकरण अर्थहीन है, बिना किसी पवित्र विधिवत ***अनुष्ठान पूर्वक*** समारोह के जारी किया गया विवाह प्रमाणपत्र "कानूनी तौर पर खोखला." और, तलाक की जरूरत नहीं चूंकि कोई वैध विवाह नहीं था, इसलिए तलाक के लिए याचिका तकनीकी रूप से टिकाऊ नहीं है।

हिंदू विवाह को "पवित्र" बनाने का अर्थ है परंपरा के माध्यम से रिश्ते में कानूनी और आध्यात्मिक जीवन फूंकना। पवित्र विधिवत ***अनुष्ठान पूर्वक समारोह के बिना, प्रमाण पत्र सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है।***

हम आगे कहते हैं कि हिंदू विवाह एक संस्कार है और इसका एक पवित्र चरित्र है। सप्तपदी के संदर्भ में ऋग्वेद के अनुसार, हिंदू विवाह में सातवां चरण पूरा करने के बाद (सप्तपदी) दूल्हा अपनी दुल्हन से कहता है, *"सात कदमों से हम दोस्त (सखा) बन गए हैं। मैं तेरे साथ मित्रता प्राप्त करूं, मैं तेरी मित्रता से अलग न होऊं"।* पत्नी को स्वयं का आधा हिस्सा (अर्धांगिनी) माना जाता है, लेकिन उसे अपनी पहचान के साथ स्वीकार किया जाता है और विवाह में समान भागीदार माना जाता है। विवाह में "बेहतर आधे" जैसा कुछ नहीं होता लेकिन विवाह में पति–पत्नी बराबर आधे होते हैं। हिंदू कानून में, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, विवाह एक संस्कार है। यह एक नये परिवार की नींव है। सदियों के बीतने और अधिनियम के लागू होने के साथ, एकविवाह जो पवित्र विधिवत ***अनुष्ठान युक्त समारोह के साथ हुआ है*** *पति और पत्नी के बीच* रिश्ते का एकमात्र कानूनी रूप से स्वीकृत स्वरूप है।[4]

पवित्र संस्कार का मुद्दा खबरों में क्यों है -

30 अप्रैल,2024 को सुप्रीम कोर्ट ने डॉली रानी बनाम मनीष कुमार चंचल मामले में निर्णय दिया कि **हिंदू विवाह के**

[4] भारत के सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरण याचिका ौ सं.(एस) 2043ध्2023 डॉली रानी (याचिकाकर्ता) बनाम मनीष कुमार चंचल दिनांक 19 अप्रैल, 2024

लिए केवल पंजीकरण पर्याप्त नहीं है, पवित्र विधिवत *अनुष्ठान युक्त* समारोह आवश्यक हैं"

डॉली रानी बनाम मनीष कुमार चंचल के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डॉली रानी ('याचिकाकर्ता') और मनीष कुमार चंचल ('प्रतिवादी') के बीच विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7 के प्रावधानों के तहत ' अवैध घोषित किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र तभी वैध होगा जब ऐसा विवाह सम्पन्न हो चुका हो तथा अपेक्षित विधिवत ***अनुष्ठान युक्त*** समारोह वास्तविकता में संपन्न हो चुके हों।

इस मामले में दोनों पक्षों की सगाई हो गई थी और बाद में उनकी शादी होने वाली थी। हालाँकि, अपनी शादी 'संपन्न' करने का दावा करते हुए उन्होंने वैदिक जनकल्याण समिति (पंजीकृत संस्था) से एक 'विवाह प्रमाण पत्र' प्राप्त किया था। उन्होंन उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियम, 2017 के तहत अपनी तथाकथित शादी पंजीकृत कराई।हिंदू संस्कारों और अनुष्ठानों के अनुसार विवाह समारोह के प्रदर्शन के लिए पार्टियों के परिवारों द्वारा एक बाद की तारीख तय की गई थी। हालाँकि, इस दौरान, पक्षों के बीच कुछ मतभेद उत्पन्न हो गए और प्रतिवादी ने मुजफ्फरपुर, बिहार में तलाक के लिए अर्जी दायर कर दी। रांची में रहने वाले याचिकाकर्ता ने उपरोक्त तलाक याचिका को मुजफ्फरपुर, बिहार से रांची, झारखंड में स्थानांतरित करने की मांग की। स्थानांतरण याचिका के लंबित रहने के दौरान, दोनों पक्षों ने संयुक्त रूप से संविधान की धारा 142 के तहत एक आवेदन दायर करने पर सहमति व्यक्त की, ताकि दोनों पक्षों के बीच तथाकथित विवाह को अवैध तथा पंजीकरण प्रमाणपत्र को अमान्य घोषित किया जा सके।

सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि पक्षों के बीच तथाकथित विवाह एचएमए की धारा 7 के तहत परिकल्पित 'हिंदू विवाह' नहीं था, क्योंकि हिंदू विवाह 'संस्कार' के लिए अपेक्षित समारोह नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप, संगठन द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र और विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र को अमान्य घोषित कर दिया गया। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों ने कभी भी पति–पत्नी का दर्जा हासिल नहीं किया था। इसलिए, तलाक याचिका, भरण–पोषण मामला और आपराधिक मामला सहित उनके बीच सभी लंबित मामले रद्द कर दिए गए। सर्वोच्च न्यायालय ने आवश्यक औपचारिक आवश्यकताओं को पूरा किए बिना, व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए विवाह पंजीकृत करने की प्रथा के प्रति कड़ी नाराजगी व्यक्त की, तथा ऐसी कार्रवाइयों के संभावित कानूनी निहितार्थों और सामाजिक परिणामों के प्रति आगाह किया।

मेरा विश्लेषण

उपर्युक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां इस बात की पुष्टि करती हैं कि हिंदू विवाह एक संस्कार है, जो अन्य बातों के साथ–साथ सप्तपदी और अन्य आवश्यक पवित्र विधिवत ***अनुष्ठान युक्त*** समारोह के प्रदर्शन के बाद पूरा होता है। ऐसे अनुष्ठानों के प्रदर्शन के बाद ही दो व्यक्तियों को पति–पत्नी का दर्जा दिया जाता है। जब तक हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत परिकल्पित ऐसे आवश्यक समारोह नहीं किए जाते, तब तक उन्हें पति–पत्नी नहीं माना जा सकता। विवाह का अनुष्ठान पूर्ण तभी होता है जब यह समारोह स्थापित प्रथागत प्रथाओं और **पवित्र विधिवत *अनुष्ठान युक्त क्रियाकलापों*** के अनुसार पूरे किए जाते हैं। किसी भी प्रथागत ***अनुष्ठान*** के अभाव में केवल विवाह का पंजीकरण, किसी पुरुष और महिला को पति और पत्नी की उपाधि प्रदान नहीं करता है।[5] किसी विवाह को वास्तविकता में संपन्न होने से पहले पंजीकृत करने में स्थायी सामाजिक और कानूनी बाधाएँ होती हैं। एक बार पंजीकृत होने के बाद, चाहे वह किसी भी रूप में संपन्न हुआ हो, विवाह को केवल तलाक के आदेश द्वारा ही भंग किया जा सकता है। इसके अलावा, 'पंजीकृत विवाह' का 'वास्तविक विवाह' में परिणत न हो पाना न्यायपालिका पर तुच्छ मुकदमेबाजी का बोझ डालता है। जिन पक्षों ने 'व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए' अपने अपवित्र विवाह को पंजीकृत करा लिया है, वे ऐसी जटिल परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए हमेशा कई मामले दर्ज कराते हैं। इस प्रकार, वर्तमान परिदृश्य में, उपर्युक्त मुद्दे पर ध्यान देना तथा हिंदू विवाह की पवित्र और धार्मिक प्रकृति को पुनः स्थापित करना आवश्यक हो गया है, साथ ही इससे उत्पन्न होने वाले नैतिक, सामाजिक और कानूनी दायित्वों पर बल देना और उनकी पुनः पुष्टि करना भी आवश्यक हो गया है। अंत में, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हमें याद

[5] जॉन डंकन मार्टिन डेरेट, द डेथ ऑफ ए मैरिज लॉ, 189 (विकास पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 1978)।

दिलाता है कि विवाह संपन्न कराना एक पवित्र कर्तव्य है, इसे हल्के में या केवल सुविधा के लिए नहीं किया जाना चाहिए, तथा यह वैवाहिक संबंधों की प्रामाणिकता और पवित्रता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।[6]

इस मामले से पहले, ऐसे कई मामले हैं जिनमें सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू विवाह संपन्न कराते समय विवाह प्रक्रिया की आवश्यकता को अनिवार्य घोषित किया है। उनमें से कुछ हैं–

- भौराव शंकर लोखंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य (1965): ''उत्सव'' का अर्थ है विवाह को उचित समारोहों और उचित रूप में मनाना।"
- सुरजीत कौर बनाम गरजा सिंह (1994): ढज।ळ1झयदि आवश्यक धार्मिक अनुष्ठान कभी नहीं किए गए तो केवल लंबी अवधि तक सहवास वैध विवाह नहीं माना जाएगा।"
- एस। नागलिंगम बनाम शिवगामी (2001): सप्तपदी आम तौर पर आवश्यक है, (जबकि यह पुजारी या सप्तपदी के बिना वैध विवाह की अनुमति देता है, बशर्ते गवाहों की उपस्थिति में माला एवं अंगूठियों का आदान–प्रदान हो या थाली बांधी जाए।)
- सीमा बनाम अश्वनी कुमार (2006):महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए सभी विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है, हालांकि पंजीकरण स्वयं अनुष्ठानों की वैधता साबित नहीं करता है।

हिंदू विवाह की सांस्कारिक अवधारणा हिंदू जीवन दर्शन से जुड़ी हुई है। हिंदू जीवन दर्शन का मूल उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है जिसे धर्म द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और धर्म का पालन पुरुष अपनी पत्नी के साथ मिलकर ही कर सकता है। यह संस्कार विवाह के माध्यम से ही संभव है। धर्म, अर्थ और कर्म से ऊपर है। वास्तव में यह इन्हें नियंत्रित करता है। सभी हिंदुओं को अपनी जाति की परवाह किए बिना धर्म का पालन करना होता है। इस प्रकार, अर्थ और कर्म पर धर्म के माध्यम से नियंत्रण होता है तथा सामाजिक नियंत्रण का ताना बाना कायम रहता है।

विवाह ने अनुशासित जीवन के स्वरूप में समाज के प्रत्येक अंग पर नियंत्रणे बना, रखा है| हिन्दू जीवन दर्शन ब्रह्मचर्य में प्रवे'ा तथा गृहस्थाश्रम जहाँ पति–पत्नी को पंच महायज्ञ का अभ्यास करना पड़ता था,को विशेष महत्व देते हुए गृहस्थाश्रम को सभी आश्रमों की जननी मानता है। इन यज्ञों ने अपने धार्मिक कर्तव्य को पूरा करने को महत्व दिया |ब्रह्म, पितृ, ईश्वर, भूत (प्राणी) और मनुष्य। इस संबंध में माता–पिता, शिक्षकों और मेहमानों की देखभाल की जाती थी और उनके साथ भगवान जैसा व्यवहार किया जाता था। समाज की अन्य आवश्यकताएं जैसे जरूरतमंद व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, बेसहारा महिला की मदद करना, कुत्तों, पक्षियों आदि को भोजन देना आदि भी इसके अंतर्गत आते हैं|इस प्रकार गृहस्थाश्रम अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए सामाजिक व्यवस्था बनाये रखने तथा बच्चों और बूढ़ों की भी देखभाल करने की प्रेरणा देता है। । इस प्रकार, हिंदू विवाह हिंदू जीवन दर्शन के इर्द–गिर्द घूमता था, जिससे समाज व्यक्ति के जीवन में संतुलन बना रहता था।[7]

पति–पत्नी का एकीकरण निर्विवाद है। हालाँकि, पौराणिक काल पश्चात मध्ययुग के दौरान महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई लेकिन पत्नी के रूप में उसका महत्व अभी भी बरकरार रहा। इस प्रकार, मोक्ष प्राप्त करने के लिए धर्म के आलोक में अपने कर्तव्यों का निष्ठांपूर्वके पालन करते हुए अर्थ की कामना ने विवाह के संस्कार की अवधारणा को अविभाज्य बनाये रखा । यह भी देखा गया है कि हिंदू विवाह समारोहों को समय–समय पर वैदिक विवाह समारोह के आधार पर विकसित किया गया है। विवाह संस्कार के माध्यम से ही दुल्हन में सभी गुण अन्तर्निष्ठ होते हैं और वह घर में समृद्धि और खुशी लाती है। भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए मंत्रों का पाठ किया जाता है। विवाह समारोह विधिवत अनुष्ठानयुक्त क्रियाकलापों के साथ पूर्ण होने पर अविभाज्य अनंत मिलन बन जाता है।[8]

[6] राज बाली पांडे, हिंदू संस्कार 153 (मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, दूसरा संस्करण, 1969)
[7] नागेंद्र क्र. सिंह (सं.), हिंदू धर्म का विश्वकोश 1871 (अनमोल पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 1997)।
[8] के एम। कपाड़िया, भारत में विवाह और परिवार (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, बॉम्बे, दूसरा संस्करण, 1958)

अब लोग अपनी जाति की परवाह किए बिना अपने व्यवसाय के अनुसार शादी कर रहे हैं। यहां तक कि विवाह की उम्र में भी बदलाव आ रहा है और पति–पत्नी के बीच पहले से कहीं अधिक अच्छा संवाद देखने को मिल रहा है। कामकाजी महिलाए अपनी नई भूमिका पर जोर दे रही है| वह ऐसे पुरुष से शादी करना चाहती है जिसके पास खाना पकाने का कौशल हो, जो उससे अधिक कमाता हो आदि। शादी में लड़कियों की मांग भी बढ़ रही है क्योंकि वह अब अपने ससुराल वालों के साथ नहीं रहना चाहती, खाना नहीं बनाना चाहती,ऐसे पुरुष से शादी करना चाहती है जो बहुत कमाता हो। जहां लोगों ने अकेले रहने का अभ्यास करना शुरू कर दिया है उन्हें शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है।[9]

इसके अलावा, विवाह की अवधारणा में परिवर्तन कई कारणों से हुआ, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण हैं धार्मिक आचरणों में शिथिलता, वर्ण धर्म का हस्तांतरण, ब्रह्मचर्य आश्रम में नियंत्रण की कमी, अहंकारी स्वभाव, औद्योगिक उन्हें क्रांति, शहरीकरण, दहेज, लिंगों का मुक्त मिश्रण, महिला सशक्तिकरण, व्यक्तिवाद का विकास, मूल्य प्रणाली और शिक्षा में परिवर्तन। सूचना प्रौद्योगिकी के आगमन, मोबाइल फोन, टैब के उपयोग के साथ, और अन्य संचार उपकरणों ने वैवाहिक परिदृश्य को पहले से और भी बदतर बना दिया है | इन्होने हिंदू विवाह के संतुलन को बहुत प्रभावित किया है। पोर्नोग्राफी, विवाह पूर्व संबंध, विवाह पूर्व गर्भावस्था, विवाहेतर संबंध और विवाह की प्रकृति में संबंधों के विभिन्न रूपों ने हिंदू विवाहों में और अधिक समस्याएं पैदा कर दी हैं।[10]

इसके अलावा, पिछले दो दशकों में भारत में पुरुष और महिला के जीवन में नाटकीय बदलाव आया है, जिसके परिणामस्वरूप हिंदुओं के जीवन में संबंधों के नए स्वरूप सामने आए हैं, जिन्हें 'उभरते हुए अलग–अलग रिश्ते' के रूप में जाना जाता है। ये रिश्ते व्यभिचार, उपपत्नीत्व, वन नाइट स्टैंड आदि जैसे अवैध रिश्तों से अलग हैं, जिनके लिए कोई कानूनी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। इन संबंधों को परिभाषित नहीं किया जा सकता लेकिन समझा जा सकता है। अविवाहित व्यक्ति इस प्रकार के रिश्तों में प्रवेश करते हैं| लेकिन केवल उन्हीं रिश्तों को सुरक्षा मिलती है जिन्हें कानून द्वारा कानूनी मान्यता प्राप्त है।[11] बिना किसी विवाह के के एक पुरुष और एक महिला का एक साथ जीवन व्यतीत करना अर्थात सहजीवन को विश्व के विभिन्न देशों द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा विश्व के विभिन्न भागों में इसे अलग–अलग नाम दिए गए हैं, जैसे वास्तविक विवाह, सहवास, साथ रहने वाले रिश्ते आदि। ऐसे कई कारक हैं जो विवाह की प्रकृति में अलग–अलग रिश्तों के उभरने के लिए जिम्मेदार हैं, ये हैं विवाह के प्रति जिम्मेदारी की कमी, वर्तमान पीढ़ी एक–दूसरे की अनुकूलता की जांच करने के लिए रिश्ते में प्रवेश करती है, अपनी पसंद से शादी करने के लिए परिवार और समाज से विरोध, यौन मुक्ति, डिस्पोजेबल आय, फोन सेक्स, मासूमियत की उम्र, आनंद की उम्र, लंबे समय तक काम करना, कार्यस्थल पर यौन संबंध, लंबे कार्य घंटे, गुमनामी, नए रुझान आदि।। [12]

निष्कर्ष

इस प्रकार, हिंदुओं के बीच विवाह की अवधारणा जो हजारों वर्षों से प्रचलित थी 1955 में संस्कार के साथ–साथ

[9] नेहा प्रिया, "हिंदू विवाहः संस्कार से अनुबंध की ओर बदलाव" 92 एआईआर 337–344 (2005)

[10] मिश्रा, ए. (2023). हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह, तलाक और कानूनी सुधारः समकालीन परिप्रेक्ष्य। इंडियन जर्नल ऑफ लीगल स्टडीज, 11(2), 55–72. कवपः10.7890ध्परसे.2023.112055.

[11] कुमार, एन. (2023). सामाजिक परिवर्तन और कानूनी अनुकूलनः आधुनिक भारत में हिंदू विवाह अधिनियम। सामाजिक नीति समीक्षा, 29(1), 78–94. कवपः10.1007ध्ध10379–023–02648–•

[12] चटर्जी, एम. (2023). हिंदू विवाह अधिनियम के सामाजिक–कानूनी प्रभावः एक व्यापक समीक्षा। इंडियन लॉ जर्नल, 18(2), 122–139. कवपः10.1177ध्परसर.2023.182122

अनुबंध में बदल गई और 1976 में विवाह कानून संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसे और बदल दिया गया। अब हिंदू विवाह कोई शुद्ध संस्कार नहीं है क्योंकि इसमें अनुबंध के तत्व शामिल हैं। परन्तु विवाह को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः एक संस्कार के रूप में वरीयता दी है क्योंकि वैध विवाह के लिए धार्मिक रीती रिवाज से विधिवत अनुष्ठानयुक्त क्रियाकलापों के साथ विवाह समारोह का पूर्ण होना आवश्यक हैं। यद्यपि इसमें हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत अनुबंध के अन्य तत्व सम्मिलित हैं जैसे शून्य और शून्यकरणीय विवाह, धोखाधड़ी से प्राप्त पक्षों की आयु, सहमति, आपसी सहमति से तलाक और वैवाहिक अधिकारों की बहाली। इस प्रकार, यह अपनी तरह का एक विशिष्ट अनुबंध,है लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि पक्षों की सहमति हिंदू विवाह की वैधता के लिए आवश्यक घटक नहीं है। यह कानून द्वारा विनियमित है और इसे पक्षों के बीच समझौतों द्वारा भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधान के तहत अदालतों द्वारा इसे भंग किया जा सकता है।यद्यपि युवा मस्तिष्कों के बीच विवाह की अवधारणा बदल गई है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय अभी भी विवाह सम्पन्न कराने में दृढ़ विश्वास रखता है। यह हिंदू विवाह का संचालन करते समय बार–बार धार्मिक प्रथाओं के पक्ष में निर्णय देता है। इस प्रकार, वर्तमान आधुनिक समाज में नीति निर्माताओं और सरकार द्वारा जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को गृहस्थ आश्रम के संबंध में वेद धर्म और सामाजिक कल्याण का अभ्यास सिखाया जाना चाहिए ताकि हिंदू वस्तुतः हिंदू जीवन और विवाह दर्शन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्त कर सकेद्य वर एवं वधु दोनों को विधिवत संस्कारोंयुक्त समारोहों और मंत्रों को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्हें अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करते हुए मोक्ष प्राप्त करने के लिए जीवनपर्यंत संस्कारों का अनुसरण करना चाहिए।

संदर्भ

1ण डेरेट एम. डंकन, हिंदू कानून, अतीत और वर्तमान 86.
2ण हरि सिंह गौर, द हिंदू कोड 194 (लॉ पब्लिशर्स, इलाहाबाद, 5वां संस्करण, 1974)।
3ण पांडुरंग वामन केन, धर्मशास्त्र का इतिहास 427 (भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूना, 1941)।
4ण भारत के सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरण याचिका ौ सं.(एस) 2043ध्2023 डॉली रानी (याचिकाकर्ता) बनाम मनीष कुमार चंचल दिनांक 19 अप्रैल, 2024
5ण जॉन डंकन मार्टिन डेरेट, द डेथ ऑफ ए मैरिज लॉ, 189 (विकास पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 1978)।
6ण राज बाली पांडे, हिंदू संस्कार 153 (मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, दूसरा संस्करण, 1969)
7ण श्रीकांत मिश्रा, प्राचीन हिंदू विवाह कानून और अभ्यास 9 (डीप एंड डीप पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1994)।
8ण नागेंद्र क्र. सिंह (सं.), हिंदू धर्म का विश्वकोश 1871 (अनमोल पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 1997)।
9ण के एम। कपाड़िया, भारत में विवाह और परिवार (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, बॉम्बे, दूसरा संस्करण, 1958)
10ण नेहा प्रिया, "हिंदू विवाहः संस्कार से अनुबंध की ओर बदलाव" 92 एआईआर 337–344 (2005)
11ण मिश्रा, ए. (2023). हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह, तलाक और कानूनी सुधारः समकालीन परिप्रेक्ष्य। इंडियन जर्नल ऑफ लीगल स्टडीज, 11(2), 55–72. कवपः10.7890ध्परसे.2023.112055.
12ण कुमार, एन. (2023). सामाजिक परिवर्तन और कानूनी अनुकूलनः आधुनिक भारत में हिंदू विवाह अधिनियम। सामाजिक नीति समीक्षा, 29(1), 78–94. कवपः10.1007ध्10379–023–02648–•
13ण चटर्जी, एम. (2023). हिंदू विवाह अधिनियम के सामाजिक–कानूनी प्रभावः एक व्यापक समीक्षा। इंडियन लॉ जर्नल, 18(2), 122–139. कवपः10.1177ध्परसर.2023.182122

''हिन्दू विवाह पवित्र विधिपूर्ण संपन्न समारोह''